71

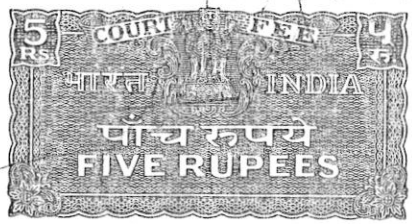

R 2340-II/06

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल, म०प्र० ग्वालियर 15/-

प्रकरण क्रमांक /2006 निगरानी

रामनारायण पुत्र श्रीरामप्रताप उर्फ परताप निवासी मोई मोहल्ला श्योपुर, तहसील व जिला श्योपुर, म०प्र० -- प्रार्थी

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन -- प्रतिप्रार्थी

आज एस. के. अवस्थी 03 द्वारा आज दि० 15-12-06 को प्रस्तुत

अवर सचिव राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग, मुरैना दिनांक 5-10-2006 अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता, 1959। प्रकरण क्रमांक 04/2004-05 पुनरावलोकन।

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(1) यहकि अपर आयुक्त महोदय की विवादित आज्ञा कानूनन सही नहीं है।

(2) यहकि अपर आयुक्त महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवम् कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा।

(3) यहकि विवादित आदेश पारित करते समय पीठासीन अधिकारी महोदय (श्री अशोक शिवहरे) को कथित प्रकरण में कोई श्रवणाधिकार प्राप्त न थे क्योंकि जिस आदेश का पुनरावलोकन चाहा जा रहा था वह आदेश उनके पूर्व अधिकारी द्वारा पारित किया गया था। ऐसी स्थिति में धारा 51 के परन्तुक 1 के अनुसार उन्हें इस माननीय न्यायालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करना चाहिये थी। कानून के इस प्रावधान पर विचार किये बिना एवम् प्रार्थी की मौखिक आपत्ति पर विचार किये बिना आदेश पारित करने में भूल हुई है तथा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2340/दो/2006 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6-1-17	यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 4/2004–05 पुनर्विलोकन में पारित आदेश दिनांक 05.10.2006 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक रामनारायन को ग्राम मिठेपुरा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 24/1 रकवा 7 विस्वा का व्यवस्थापन प्रकरण क्रमांक 7/93–94/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 03.03.1994 से तहसीलदार श्योपुर द्वारा भूमि स्वामी स्वत्व पर किया गया। इस आवंटन आदेश को अपर कलेक्टर श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 90/94–95 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29.05.1995 के द्वारा आवंटन आदेश को इस आधार पर अन्य भूमियों के साथ व्यवस्थापन को भी निरस्त किया। अपर कलेक्टर श्योपुर के उक्त आदेश दिनांक 29.05.1995 को अपर आयुक्त चंबल संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 140/1994–95 में पारित आदेश दिनांक 30.10.1995 द्वारा प्रकरण की समस्त कार्यवाही को शून्य घोषित किया गया है। अपर कलेक्टर श्योपुर द्वारा एक अन्य प्रकरण क्रमांक 2/1994–95 सी 129 में पारित आदेश दिनांक 03.07.1995 के द्वारा भी अन्य भूमियों के साथ उक्त व्यवस्थापित की	

गयी भूमि का आवंटन निरस्त किया गया। इस आदेश दिनांक 03.07.1995 को अपर आयुक्त चंबल संभाग पीठासीन श्री मुक्तेश वार्ष्णेय द्वारा प्रकरण क्रमांक 47/1996–97 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.05.2005 द्वारा स्थिर रखा गया। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30.05.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत पुर्नविलोकन आवेदन को अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना (पीठासीन अधिकारी) श्री अशोक शिवहरे द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/2004–05 पुर्नविलोकन में पारित आदेश दिनांक 05.10.2006 द्वारा निरस्त किया गया है। इसी आदेश दिनांक 05.10.2006 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों एवं उपलब्ध अभिलेखो का विधिवत अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि भूमि सर्वे क्रमांक 24/1 रकवा 7 विस्वा के संबंध में ही वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गयी है, तथा व्यवस्थापन आदेश को स्थिर रखे जाने का निवेदन किया जा रहा है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी जो निरस्त हुयी। तत्पश्चात् धारा 51 के अन्तर्गत पुर्नविलोकन आवेदन दिया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को यह आवश्यक था कि वह माननीय न्यायालय से पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त कर आदेश पारित करते किन्तु माननीय न्यायालय से पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त किये

बिना जो आदेश दिनांक 05.10.2006 अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित किया गया है, वह अधिकारितारहित होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

5– आवेदक अभिभाषक ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि कलेक्टर श्योपुर द्वारा दिनांक 03.07.1995 को पारित आदेश से आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं विधि प्रक्रिया अपनाये बिना पारित किया गया है। यह स्पष्ट आपत्ति अपर आयुक्त महोदय के समक्ष अपील में की गयी थी ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश भी अधिकारिता रहित होकर शून्य एवं निष्प्रभावी होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। तथा बताया कि आवेदक की विधिवत् जॉच के पश्चात् भूमि सर्वे क्रमांक 24/1 रकवा 7 विस्वा का व्यवस्थापन किया गया है अतः व्यवस्थापन आदेश स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया है।

6– अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में यह बताया है कि अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा उपरोक्त प्रकरण में विधिवत् विचार करने के पश्चात् जो आदेश पारित किया है, उसमें आवेदक को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

7– उभयपक्षों के अभिभाषको के तर्को के परिपेक्ष्य में मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख से यह स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त,

चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी, जो आदेश दिनांक 30.05.2005 से निरस्त की गयी थी तत्पश्चात् आवेदक द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त न्यायालय को चाहिए था कि वह राजस्व मण्डल से पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त करने पश्चात् ही प्रकरण में कोई कार्यवाही करते संहिता की धारा 51 (एक) में स्पष्ट है कि यदि आयुक्त, बंदोबस्त आयुक्त, कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी किसी ऐसे आदेश का, जोकि उसने स्वंय पारित न किया हो, पुनर्विलोकन करना आवश्यक समझता है, तो वह पहले मण्डल की मंजूरी अभिप्राप्त करेगा और यदि कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी के अधीनस्थ कोई अधिकारी किसी ऐसे आदेश का, जो चाहे स्वंय उसके द्वारा या उसके किसी पूर्वाधिकारी द्वारा पारित किया गया हो, पुनर्विलोकन करने की प्रस्थापना करता है, तो वह पहले उसे प्राधिकारी की, जिससे कि वह ठीक अधीनस्थ है, लिखित मंजूरी अभिप्राप्त करेगा। इस प्रकरण में अपर आयुक्त (पीठासीन अधिकारी श्री अशोक शिवहरे) द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति राजस्व मण्डल से प्राप्त नहीं की गयी है, ऐसी स्थिति में उनके द्वारा पारित आदेश अधिकारितारहित है, जहाँ तक अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर का आदेश का प्रश्न है तो प्रकरण मे उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि उनके द्वारा आवेदक को सुने बिना आदेश पारित किया गया है, जबकि व्यवस्थापन आदेश दिनांक 03.03.1994 का अंकन राजस्व अभिलेख में अंकित होकर रामनारायन के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है, ऐसी स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना नायब तहसीलदार के एकपक्षीय प्रतिवेदन के आधार पर जो आदेश

अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर द्वारा दिनांक 03.07.1995 व्यवस्थापन आदेश के संबंध में पारित किया गया है, वह अवैध एवं अनुचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

8– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 4/2004–05 पुनर्विलोकन में पारित आदेश दिनांक 05.10.2006 एवं अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 47/1996–97 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.05.2005 तथा अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/1994–95/सी–129 में पारित आदेश दिनांक 03.07.1995 के अंश भाग मात्र वर्तमान प्रकरण में व्यवस्थापन आदेश दिनांक 03.03.1994 से संबंधित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है, एवं व्यवस्थापन आदेश दिनांक 03.03.1994 स्थिर रखे जाने एवं तद्नुसार ग्राम मिठेपुरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 24/1 रकवा 7 विस्वा पर आवेदक रामनारायण का नाम पूर्वत राजस्व अभिलेखो में अंकित किये जाने के निर्देश तहसीलदार श्योपुर को दिये जाते है।

सदस्य